

जिला-राजसमन्द

बनाम.....

कार्यवाही प्रकरण

हस्ताक्षर/सूचना नं.

हस्ताक्षर

पुनर्वाही पेय है। उच्च पक्ष आदि उच्च
 आदि वारी उच्च पक्ष 14 दि तल्ली
 हेतु न्यायहीन मे एड अंतिम अन्वय
 मया। 07 दिवस मे अन्वयक रूप मे
 पेय करे। अन्वयक अन्वय अन्वय
 नही विना उच्च तल्ली की अन्वय
 वंड कर विना उच्च। पुनर्वाही
 दिनांक 14/12/12 को पेय हो।

शशि

पुनर्वाही पेय है। उच्च पक्ष आदि उच्च
 उच्च आदि उच्च 14 दि उच्च ले
 उच्च पेय करे हेतु न्यायहीन मे
 एड अंतिम अन्वय अंतिम पाया।
 अन्वय उच्च पेय नही करे
 पर उच्च की अन्वय वंड कर कर
 लये। आदि वारी को उच्च पक्ष
 लागू 14 दि तल्ली हेतु पुनर्
 मे पुनर्वाही अन्वय विना दिनांक
 14/12/12 को भी 0925 के तहत न्यायहीन
 मे अंतिम अन्वय विना उच्च उच्च
 आज भी उच्च पेय नही विना उच्च।
 जिस पर वारी का वंड 0925 के
 के आदेशानुसार पालना नही विने
 जाने से वारी का वंड उच्च
 विना जाता है। पुनर्वाही उच्च
 शुमार होकर नम्बर से कम
 दि लये। शशि

उच्च पक्ष 14 का
 तल्ली पेय
 विना उच्च
 विना उच्च।